IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, SITAMARHI

Dated, Sitamarhi, the 23 -04 -2026

Present:- Akhilesh Kumar Jha, Principal District & Sessions Judge

B.P. No.- 329/2026

Subodh kumar……..….Petitioner.

Vrs.

State of Bihar…….…. Respondent.

For the Petitioner : Sri Ramanand Verma Advocate.
For the State : Sri Prafful kumar Jha, P.P. I/C

Date of Order or Proceeding	**Order with the signature of the Court**	Office action taken with date
23-04-26	अभियुक्त सुबोध कुमार जो बेला थाना कांड सं0 62/26 में 339, 336(3), 318(2), 61(2), (a), 3(5) बी0एन0एस0 के तहत दिनांक 19.03.26 से न्यायिक अभिरक्षा में है की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और प्रभारी लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक बिलकुल निर्दोष है। आवेदक पर लगाया गया सारा आरोप झूठा बनावटी एवं आधारहीन है। आवेदक को इस वाद में त्रुटिपूर्ण रीति से फंसाया गया है। आवेदक किसी भी प्रकार के किसी घटना कारित नहीं किया हैं। आवेदक अपना रजिस्ट्रर ग्राहक सेवा केन्द्र खोले हुए है जिससे गांव के लोगों का बैंक में पैसे का लैन देन एवं गांव के लोगों का पैसा जमा होता हैं। अवेदक के सेवा केन्द्र से कोई फर्जी आधार कार्ड बरामद नहीं हुआ है। यह वाद धारा 339,336(3), 318(2), 61(2),(a),3(5) BNS में दर्ज है जिसमें धारां 318(2) जमानतीय है, धारा 339, एवं 336(3) में अपराध की सजा सात साल या उससे कम है तो पुलिस को सीधे गिरफ्तार करने के बजाए 35(3) का नोटिस जारी कर आवेदक को लाभ देना चाहिए तो पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं किया गया सीधे आवेदक को हिरासत में ले लिया गया। जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए न्याय	

23-4-26	निर्णय अरूणेश कुमार के पारित किए गए आदेश का उल्लंधन है। आवेदक पर 61(2) या धारा 318(2) या धारा 339 का अपराध नहीं बनता है। मामले में फर्जी जप्ती सूची बनायी गई है। जिसका प्रति आवेदक को नहीं दिया गया। आवेदक दिनांक 19.03.26 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के जमानत का विरोध किया गया। विद्वान लोक अभियोजन द्वारा कथन किया गया कि आवेदक पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप है। जिसका कांड दैनिकी के कंडिका 5,6 साक्षियों ने समर्थन किया है। एवं कांड दैनिकी के कंडिका 7 में जप्ती सूची द्वारा जप्त सामान का विवरण हैं जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम करते है जो गंभीर प्रवृति का अपराध है जिससे आवेदक के जमानत का विरोध करते है। परन्तु इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि जप्त समान, पाए गए आधार कार्ड इत्यादि का कॉपी या पैन ड्राईव अभिलेख पर नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह सूचक पु0अ0नि0 अमित कुमार बेला थाना के लिखित आवेदन पर संस्थित हुआ है। सूचक ने अपने लिखित आवेदन में कथन किया है कि दिनांक 17.3.26 को थाना सिरिस्ता में समय करीब 16:00 बजे सरकारी काम कर रहे थे, तो सरकारी मोबाइल पर सूचना मिली कि चॉदी रजबाड़ा में सुबोध कुमार नाम का व्यक्ति दुकान भाड़ा पर लेकर ग्राहक सेवा केन्द्र का संचालन करते हैं और पैसा लेकर अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाया जा रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु सूचक सशस्त्र बल के साथ सुबोध कुमार के ग्राहक सेवा केन्द्र पर पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति लैपटॉप पर काम कर रहा हैं और कुछ ग्राहक लोग उसके बगल में खडे है। सशस्त्र बल को देखकर वह व्यक्ति घ ाकड़ा गया। पूछताछ के क्रम मे ंउसने अपना नाम सुबोध कुमार बतायां। दुकान के निरीक्षण से दुकान के अंदर से 1. 2 डेल कंपनी का लैपटॉप 2. 1 फिंगर प्रिंट स्कैनर 3. 1 आईरिस स्कैनर मशीन 4. 1 बेव कैमरा 5. 1 एच0पी0 कंपनी का प्रिंगर प्रिंटर 6. 1 ब्रदश कंपनी	

23-4-26	का प्रिटर 7. 1 की बोर्ड 8. एक माउरस 9. एक लैपटॉप चार्जर 10. एक सैंमसंग कंपनी का स्मार्ट फोन 11. एक अगूंठा का थम इम्प्रेशन क्लोन रबर स्टाम्प 12. बारह आधार कार्ड रशीद 13. एक आधार कार्ड जन्म तिथि सुधार से संबंधित छायाप्रति सभी सामानों के जप्त कर लिया गया और सुबोध कुमार को जांच में सहयोग के लिए थाना सिरिस्ता में रखा गया। दिनांक 18.3.26 को 13:00 बजे तकनीकी विशेषज्ञ थाना आए और तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा बताया गया कि आधार कार्ड सिर्फ सराकरी संस्था में ही बनाया जा रहा है। किसी निजी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया जा सकता हैं। पूछताछ के दौरान सुबोध कुमार द्वारा कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया। वहां उपस्थित सशस्त्र बल के समक्ष जप्त सामान की जप्ती सूची बनाकर उसे जप्त कर लिया गया और आवेदक को हिरासत में ले लिया गया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक के दुकान से जो भी सामान जप्त किया गया है या जो भी आधार कार्ड अभिकथित रूप से लैपटॉप में पाया गया है वह अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस संबंध में अब तक ऐसा कोई पैन ड्राईव भी अभिलेख पर उपस्थित नहीं है जिससे प्रतीत हो कि आवेदक ने कोई फर्जी आधार कार्ड बनाया है या बनाने का काम करता था। मामले में अपराध की धाराओं में सात साल से कम सजा का प्रावधान है और पुलिस या अभियोजन द्व ारा धारा 35(3) का भी पालन नहीं करने और गिरफ्तार करने का कोई कारण लेखबद्ध नहीं किया है न ही अभिलेख पर उपलब्ध कराया है तथा आवदेक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 19.3.26 से कारा अभिरक्षा में हैं। अतएव उपरोक्त तर्को, तथ्यो, परिस्थितियों एको ध्यान में रखते हुए आवेदक को मो0 10,000 रू0 (दस हजार) रूपया की समान धन राशि के दो प्रतिभूओं सहित बंधपत्र दाखिल करने पर एवं BNSS की धारा 480 (3) के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया	

B.P. No.- 329/2026

23-4-26	जाता है। लेखापित एवं शुद्धिकृत ह0/– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीतामढ़ी दिनांक– 23.4.2026	

Date of Judgement / Order-	23-4-2026
Date of Reserving	23-4-2026
Uploading Date-	27.04.2026
Uploaded by -	पुरूषोतम कुमार